न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. :– 45/2016 (2016/00174)

प्रार्थीगण

1. गोमाराम पुत्र लालचन्द जाति सोनी निवासीः आवड़ चौक, शेरगढ, जिला जोधपुर।
2. स्व0 लक्ष्मीनारायण पुत्र धर्मीनारायण के विधिक वारिसान् :–
   2/1. बाबुदेवी पत्नी स्व0 लक्ष्मीनारायण
   2/2. पवन कुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण
   2/3. शिव कुमार पुत्र स्व0 लक्ष्मीनारायण
   2/4. प्रियंका पुत्री स्व0 लक्ष्मीनारायण जरिये कुदरती वली माता बाबू देवी निवासीगड़ आवड़ चौक, शेरगढ़ जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. इन्द्रसिंह पुत्र स्व0 पेपसिंह।
2. हेमसिंह पुत्र स्व0 पेपसिंह।
3. रतनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह।

जातियान् राजपुत निवासीगण आवड़ चौक, शेरगढ। हाल निवासी गुमानसिंहपुरा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

4. सरपंच ग्राम पंचायत शेरगढ, पंचायत समिति शरेगढ़, जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) 21.10.1973 पट्टा नम्बर 9 मिसल संख्या 8 दिनांकः 11.06.1972 अप्रार्थी संख्या 4 के द्वारा अप्रार्थी संख्याः 1 व 2 के पिता स्व0 पेपसिंह के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थिति

1. अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोंलकी (प्रार्थी संख्या 01)।
2. अधिवक्ता श्री भवानीसिंह भलासरिया (प्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 तक)।
3. अधिवक्ता श्री गुमानसिंह राठौड़ (अप्रार्थी संख्या 1 से 2 तक)

आदेश दिनांक :–28.11.2022

प्रार्थीपक्ष द्वारा यह पंचायत निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्ध भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) 21.10.1973 नम्बर 09 मिसल संख्या 08 दिनांक 11.06.1972 अप्रार्थी सं. 4 के द्वारा अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता स्व0 पेंप सिंह के पक्ष में जारी किया गया है, के विरूद्ध पेश की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

गई। संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम शेरगढ़ स्थित आवड चौक क्षैत्र में पेपसिंह पुत्र श्री गुमानसिंह के प्लॉट एवं धर्मीनारायण के प्लॉट के बीच एक आम रास्ता एक तरफ गेनाराम, जेठमल दूसरी तरफ राणीदानसिंह गोयल, भोमसिंह पीडियार के प्लॉट के बीच से गुजरता है, इस आम रास्ते को अप्रार्थी सं. 1 ता 3 ने बिना किसी कारण के रोक दिया। रास्ते में उत्तरी व पश्चिमी दिशा में पट्टियां रोप दी जब प्रार्थी व अन्य ने रास्ता रोकने का कारण पूछा तो बताया कि हमारे प्लॉट का पट्टा 100 गुणा 70 फुट का जारी हुआ था। जबकि 04.03.1988 को श्री पेपसिंह ने अपने प्लॉट के 20 गुणा 100 फुट भूमि को आम रास्ते के लिए ग्राम पंचायत को समर्पित कर दी थी। जिसके आधार पर इनका प्लॉट 100 गुणा 50 फुट का ही मान्य है। और इसी प्रकार काबिज रहा तथा 20 गुणा 100 फुट निरन्तर पिछले 40 वर्षों से आम रास्ते के काम में आ रहा है। आम रास्ते से पानी की पाईपलाईन व टेलिफोन लाईन भी गुजर रही है और बिजली की लाईन भी जा रही है। बरसात का पानी भी इसी रास्ते मे से होकर निकलता है। आवागमन का यह पुराना रास्ता है। ग्राम पंचायत में शिकायत करने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

प्रार्थीगण की निगरानी पूर्व में दिनांक 23.06.2015 को आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत शेरगढ़ को आदेशित किया गया कि उसके द्वारा पूर्व में जारी पट्टा दिनांक 11.06.1972 के क्षेत्रफल को निरस्त कर संशोधित पट्टा जारी करे, जिससे उक्त भूखण्ड का क्षेत्रफल 100 फुट गुणा 70 फुट न होकर 100 फुट गुणा 50 फुट हो। उक्त आदेश को अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में रिट याचिका संख्या 8039/2015 के माध्यम से चुनौती दी गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 03.11.2016 को अप्रार्थीगण की रिट याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय अपर जिला कलक्टर, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः प्रेषित करते हुए नये सिरे से सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार पंचायत निगरानी पुनः (45/2016) दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अनोपसिंह सोंलकी उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री गुमानसिंह राठौड़ ने वकालतनामा पेश किया। पंचायत निगरानी के विचाराधीन रहते प्रार्थी संख्या 02 लक्ष्मीनारायण फौत हो गए। उनके विधिक प्रतिनिधि 2/1 से 2/4 की ओर से अधिवक्ता श्री भवानी सिंह भलासरिया ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस दिनांक 21.11.2022 को सुनी गई।

प्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बतलाया कि स्व0 पेपसिंह पुत्र गुमानसिंह राजपूत पीडियार निवासी शेरगढ़, जिला जोधपुर हाल निवासी नाथुसिंह नगर, गुमानसिंहपुरा द्वारा दिनांक 04.03.1988 को उनके पट्टे की जमीन 100X70 में से 20 आम रास्ते के लिए ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

शेरगढ़ को समर्पित की गई। उनके पुत्र इन्द्रसिंह व हेमसिंह द्वारा दिनांक 13.01.2013 को पुनः अपने प्लॉट की जमीन में शामिल करने की नियत से अतिक्रमण करने की कोशिश की। प्लॉट के उत्तर पश्चिम हिस्से में 20 फुट पर अतिक्रमण कर पत्थर की पट्टिया रोप दी जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। पेपसिंह को दिनांक 27.01.1974 को पट्टा जारी किया गया जो 100X70 किन्तु मौके पर कब्जा 100X50 था जिसके समानान्तर दक्षिण दिशा में तीन अन्य पट्टे नारायणसिंह पुत्र तगतसिंह बनाप 30X50 दिनांक 15.12.1986, राणीदान सिंह व रेवतसिंह पुत्र सोहनसिंह बनाप 70X50 दिनांक 17.04.1983 तथा भोमसिंह पुत्र बगतावर सिंह बनाप 50X50 दिनांक 15.01.1987 को जारी किया गया। इस तरह पेपसिंह के पट्टे के अलावा अन्य सभी समानान्तर पट्टे 50 फुट चौड़ाई के है। इस प्रकार पेपसिंह ने समानान्तर पट्टे 50 फुट की चौड़ाई के होने से 100X20 आम रास्ते के लिए ग्राम पंचायत को समर्पित कर दी।

प्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने लिखित बहस में आगे बतलाया कि निगराधीन पट्टे के पश्चिम में आम कदीमी रास्ता मौजूद है एवं इसके बाद धर्मीनारायण पुत्र धूड़ाराम, गोमाराम पुत्र लालचन्द, गेनाराम पुत्र लालचन्द एवं चम्पालाल पुत्र रिधकरण सहित सभी के पट्टे के नाप 60X60 है। पेपसिंह द्वारा 100X20 आम रास्ते के लिए भूमि समर्पण करने के पश्चात् ग्राम पंचायत शेरगढ द्वारा पेयजल की आपूर्ति हेतु दो अण्डरग्राउण्ड पाइप लाईन व टेलीफोन लाईन एवं विद्युत लाईन बिछा दी गई है जो मौके पर मौजूद है। पेपसिंह के पुत्रों के द्वारा पट्टे की आड में रोपी गई पत्थर की पट्टियों से आम रास्ता 24 फुट से मात्र 4 फुट का रह गया। पेपसिंह के पुत्र इन्द्रसिंह ने अपना मकान 15 वर्ष पूर्व समर्पित रास्ते को छोड़ कर बनाया है। इससे पूर्व लगभग 60 वर्षों से यह रास्ता कबाणियों का बास, पाबूजी का थान एवं होली दहन स्थल को जाता है। प्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने निगरानी स्वीकार कर पेपसिंह पुत्र गुमानसिंह राजपूत को जारी पट्टे के क्षेत्रफल 100X70 में से 100X50 तक यथावत रखने तथा 100X20 तक पट्टा निरस्त कर मौजूदा अतिक्रमण हटाने की प्रार्थना की।

प्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया कि अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के पिता पेपसिंह को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् पट्टा बनाप 100X70 का जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 का पट्टे में वर्णित क्षेत्रफल पर कब्जा है। प्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 के पिता लक्ष्मीनारायण को बेवजह तथा मुगालते में रखकर हस्ताक्षर करवाकर पंचायत निगरानी में पक्षकार बनाया है। प्रार्थी संख्या 2/1 से 2/4 के अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी निरस्त करने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में यह भी बतलाया कि निगरानीधीन पट्टा दिनांक 21.10.1973 को ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत् जारी किया गया। प्रार्थी संख्या 01 द्वारा लगभग 41 वर्ष के अत्यन्त विलम्ब के पश्चात उक्त पट्टे को चुनौती दी गई है। कोई भी अपील, निगरानी में परिसीमा अधिनियम लागू होती [illegible] निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

का वैध कारण प्रार्थी द्वारा निगरानी में कही नहीं बतलाया गया है। इसी आधार पर प्रार्थी की निगरानी म्याद के बिन्दू पर खारिज योग्य है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में यह भी बतलाया कि 100 रूपये से अधिक की अचल सम्पति का पंजीयन जरूरी है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी संख्या 01 द्वारा जो इकरारनामा प्रस्तुत किया है वो पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। उक्त इकरारनामा पंचायत के पास नहीं है। प्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त इकरारनामा न्यायालय में पेश किया गया है जिससे सिद्ध होता है कि उक्त इकरारनामा शुरू से ही शून्य एवं फर्जी है। अतः उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि इकरारनामा विधिक दस्तावेज नहीं है तथा इसकी साक्ष्य में कोई वैल्यू नहीं है। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णय पेश किये।

1. 2017 (3) APEX COURT JUDGEMENTS PAGE NO 771(S.C.) HEAD NOTE (1)
2. 2018 DNJ (S.C.) 826 HEAD NOTE (1)
3. 2017 (1) APEX COURT JUDGEMENTS PAGE NO 205(S.C.) HEAD NOTE (11)
4. 2011 (3) APEX COURT JUDGEMENTS PAGE NO 552(S.C.) PARA 16
5. 2013 (4) CIVIL COURT CASES PAGE NO 232 A.P. PARA 07
6. SB CIVIL WRIT PETITION NO 5663/2007 BHOORARAM VS STATE AND ORS.

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह भी बतलाया कि प्रार्थी संख्या 02 लक्ष्मीनारायण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका का जवाब पेश किया गया जिसमें उन्होनें बतलाया कि मेरे द्वारा न्यायालय अपर जिला कलक्टर, प्रथम जोधपुर में अप्रार्थी के विरूद्ध निगरानी स्वेच्छा से पेश नहीं की गई। मेरे वकालतनामा व अन्य कागजात पर गोमाराम ने बिना पढाये मुगालते में रखते हुए मेरे हस्ताक्षर करवाए। इन्द्रसिंह के पिता पेंपसिंह का पट्‌टाशुद प्लॉट मेरे पिता के नाम से पट्‌टाशुदा प्लॉट के सामने है तथा उनका 100X70 फुट पर पेंपसिंह के जीवनकाल से ही कब्जा आज दिन तक है। मैं इन्द्रसिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूँ। गोमाराम ने अपना अतिक्रमण छुपाने के लिए इन्द्रसिंह के खिलाफ कार्यवाही की है। अतः प्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी संख्या 02 से तथ्यों को छिपाकर निगरानी पेश की है जो निरस्त योग्य है। बहस के अन्त में बतलाया कि पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में दावा विचाराधीन है। उक्त तमाम तथ्य दावें में तय हो जाएगे। माननीय न्यायालय को केवल और केवल पट्‌टे की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थी की पंचायत निगरानी खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 का भी अध्ययन किया। प्रार्थी संख्या 01 का निगरानी में मुख्य रूप कथन रहा कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पेपसिंह पुत्र गुमानसिंह के पक्ष में ग्राम पंचायत शेरगढ़ द्वारा आवड़ क्षेत्र में दिनांक 27.09.1974 को जारी पट्‌टा विलेख 100X70 फीट भूमि में से 100X20 फीट भूमि आम रास्ते की सम्मिलित हाने से 100X20 भूमि की सीमा तक पेपसिंह द्वारा समर्पित करने से उसका अधिकार समाप्त होने से पट्‌टे से निरस्त करने योग्य है तथा निरस्त करने की प्रार्थना की गई। चुंकि प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 01 द्वारा पेपसिंह के पक्ष में जारी पट्टे की सम्पूर्ण भूमि को निरस्त करने की चुनौती नहीं दी जाकर मात्र 100X20 फीट भूमि तक निरस्त करने की मांग की गई है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 में स्पष्ट किया गया कि ''राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर पर, किसी भी कार्यवाहियों के संबंध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियेां की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेंगी और, यदि किसी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपान्तरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तद्नुसार आदेश कर सकेगी।''

प्रार्थी संख्या 01 के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता पेपसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में तथाकथित इकरारनामा (अपंजीकृत) जरिये अपने पट्टा सुदा भूमि में से 100X20 भूमि ग्राम पंचायत शेरगढ़ के पक्ष में समर्पित करने से उसके अधिकार समाप्त हो जाते है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा एतराज लिया गया कि प्रार्थी संख्या 01 द्वारा जो इकरारनामा प्रस्तुत किया गया है वो पंजीकृत दस्तावेज नहीं है और न ही ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। प्रार्थी संख्या 01 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। 100 रूपये से अधिक की अचल सम्पति के लिए पंजीकृत दस्तावेज जरूरी है। अतः पंजीकृत दस्तावेज नहीं होने से उक्त दस्तावेज प्रारम्भ से ही शून्य है। प्रथमतः प्रार्थीपक्ष एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य विवादग्रस्त भूमि को लेकन सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है जहां से अंतिम स्वत्व का निर्धारण होगा। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश देना उचित नहीं समझते है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार उक्त निगरानी निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें। आदेश पत्रावली के सलंग्न हो। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत शेरगढ़ को पुनः प्रेषित हो।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 28.11.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर(प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.01.16 16:24:51 IST
Reason: SelfAttested